3811

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD

Paryavas Bhawan, Sector - 19, Naya Raipur (C.G.) 492002
Email add- hocecb@gmail.com

No. /TS/CECB/2016 Naya Raipur, Dated / /2016

To,

The Secretary,
Government of India,
Ministry of Environment, Forests &
Climate Change, 3rd Floor, Vayu wing,
Indira Paryawaran Bhawan, Jorbag Road, Aliganj,
NEW DELHI 110 003

Sub: Proceedings of Public Hearing conducted as per the provision of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006 for proposed Expansion Iron Ore Mining Capacity – 4.2 Million Tonnes per Annum to 6.0 Million Tonnes per Annum (Lease Area- 309.340 Hect.) at Village and Tehsil – Bahceli , District- South Bastar Dantewara (C.G.) by M/s. N.M.D.C. Limited (Bailadila Iron Ore Mine).

---00---

The Chhattisgarh Environment Conservation Board has conducted Public Hearing on Dated 15/11/2016 at Van Kastagar, Van Mandal, Dantewara, District- South Bastar Dantewara (C.G.) for proposed Expansion Iron Ore Mining – 4.2 Million Tonnes per Annum to 6.0 Million Tonnes per Annum (Lease Area- 309.340 Hect.) at Village and Tehsil – Bahceli, District- South Bastar Dantewara (C.G.) by M/s. N.M.D.C. Limited (Bailadila Iron Ore Mine). as per the provisions of Environment Impact Assessment Notification, 14/09/2006 (as amended up to date). The proceedings of public hearing and other documents are enclosed herewith in original for necessary action please.

Encl :-

1. News Clippings. (Page No. 01 to 05)
2. Proceedings of public hearing (Page No. 06 to 09)
3. Objections/Suggestions received regarding Public Hearing (Page No. 10 to 31)
4. Attendance Sheet (Page No. 32 to 38)
5. Statement of Main issues raised by the Public during the public hearing & Reply of the project proponent. (Page No. 39 to 41)
6. CD of Proceedings of public hearing (1 No.)
7. Video Graphy of Public Hearing. (02 No. CDs)

Yours Sincerely

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur (C.G)

Endt. No. 4774/TS/CECB/2016 Naya Raipur, Dated: 29/11/2016

Copy to :-

1. Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Jagdalpur (C.G.).
2. N.M.D.C. Limited (Bailadila Iron Ore Mine) Village and Tehsil – Bahceli, District-South Bastar Dantewara (C.G.). Please find enclosed herewith a copy of public hearing documents including video graphy of Public Hearing, as mentioned above for further submission to Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India for obtaining Environmental Clearance.

Encl: As above

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Naya Raipur (C.G)

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर हाऊसिंग, बोर्ड कालोंनी,
चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर–07782–229367, ई–मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

क्रमांक/994/क्षे.कार्या./तक./छ.प.सं.मं./2016 जगदलपुर, दिनांक 18.11.16

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

विषय – मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्।

संदर्भ – मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण सरंक्षण मंडल का पत्र क्रमांक 1359/तक/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर दिनांक 31.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयातंर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित उद्योग के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवम्बर 2016) दिन मंगलवार, 11:30 बजे, पूर्वाह्न, स्थान- वन काष्ठागार, वनमण्डल दंतेवाड़ा जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कराई गई। लोक सुनवाई से संबंधित कार्यवाही विवरण सहित प्राप्त आपत्ति/विचार एवं सुझाव की मूल प्रति एवं लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण का तीन सेट सी.डी. सहित संलग्न कर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग.)

संलग्न :-

1. लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन की मूल प्रति (पेज क्रमांक 01 से 05)
2. लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण (पेज क्रमांक 06 से 09) एवं सी.डी. (03 सेट)
3. लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा उठाये गये मुद्दो का एवं परियोजना प्रबंधन का कथन (पेज क्रं. 10 से 12)
4. इस कार्यालय को निर्धारित अवधि एवं लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्ति/विचार एवं सुझाव परियोजना का उत्तर (पेज क्रमांक 13 से 25)
5. उपस्थिति पत्रक (पेज क्रमाक 26 से 32 तक)
6. लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा उठाये गये मुद्दो का एवं परियोजना प्रबंधन का कथन टंकित प्रति (हिन्दी/अंगेजी) (पेज क्रं. 33 से 41)
7. लोक सुनवाई कार्यवाही की सीडी 03 सेट।

रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा क्रमशः 723, 36 हजार 634 और 11 हजार 664 था। 2011-12 में कॉलेजों की संख्या 34 हजार 852 थी। देश के केवल 50 जिलों में ही कुल 35 फीसदी कॉलेज हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरू जिले में सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। बेंगलुरू जिले में करीब 911 कॉलेज हैं, इसके बाद दूसरे स्थान पर जयपुर है जहां 571 कॉलेज हैं। हैदराबाद जिले में 521, पुणे में 462 और नागपुर में 394 कॉलेज हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देशभर में 138 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ 10 कॉलेज हैं, जबकि 95 जिले ऐसे हैं, जहां कॉलेजों की संख्या 10 से 19 के बीच है। देशभर में सिर्फ 106 जिले ऐसे हैं, जहां कॉलेजों की संख्या 100 से ज्यादा और सिर्फ 31 जिलों में 200 से ज्यादा कॉलेज हैं।

कॉमर्स से ज्यादा हुए साइंस पढ़ने वाले

2011-12 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा प्रवेश लेते थे, जिसमें से करीब 49 फीसदी पुरुष और 51 फीसदी महिलाएं थीं। 2014-15 की रिपोर्ट के अनुसार ये विषय अब भी छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं। पिछले तीन साल में इस स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 66.36 लाख से बढ़कर 107.07 लाख हो गई है, जिसमें करीब 53 फीसदी महिलाएं हैं। दूसरी तरफ 2011-12 में कुल प्रोग्राम में 18 ऐसे थे जिनमें छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी, 2014-15 में इन प्रोग्राम्स की संख्या कम होकर 10 रह गई। महत्वपूर्ण यह है कि पहले बीकॉम कोर्स छात्रों की दूसरी बड़ी पसंद था, लेकिन अब छात्रों का रुझान बीएससी कोर्स की तरफ बढ़ा है और छात्रों के एनरोलमेंट के मामले में बीएससी कोर्स दूसरे स्थान पर है।

विभिन्न कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या (आंकड़े लाख में)

कोर्स	2014-15	2013-14	2011-12
बीए	97.3	85.98	67.12
बीएससी	40.37	31.83	23.19
बीकॉम	37.2	32.62	24.65
बीटेक	21.99	21.15	16.06
बीई	19.68	18.36	13.75
एमए	14.5	13.76	10

कम हो गए पीएचडी और पीजी डिग्री वाले कॉलेज

देश में पीएचडी कराने वाले कॉलेजों की संख्या में कमी देखने को मिली है, जबकि सरकार द्वारा पीएचडी छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 2.2 फीसदी कॉलेज पीएचडी कोर्स कराते थे और 2013-14 की रिपोर्ट में भी यही आंकड़ा सामने आता है, लेकिन 2014-15 में पीएचडी कराने वाले कॉलेजों का अनुपात घटकर 1.7 फीसदी हो गया। इसी तरह पोस्टग्रेजुएशन कराने वाले कॉलेजों की संख्या में भी 2 फीसदी की कमी आई है। 14/10/2016

डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस में तेजी से बढ़ रही लड़कियां

अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट दोनों स्तर पर ही डिस्टेंस मोड कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या रेगुलर कोर्स करने वाले छात्रों से ज्यादा है। दोनों स्तर पर ही लड़कों की अपेक्षा ज्यादा लड़कियां डिस्टेंस कोर्स में प्रवेश लेती हैं। 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार पीजी स्तर पर प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या 5 लाख 32 हजार 900 थी, जबकि लड़कियों की संख्या 4 लाख 82 हजार 626 थी। 2014-15 में डिस्टेंस मोड से पीजी करने वाले लड़कों की संख्या में सिर्फ 50 हजार 446 का इजाफा हुआ, वहीं लड़कियों की संख्या में 1 लाख 40 हजार 854 की बढ़ोतरी हुई।

केवीएस निजी कोचिंग देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कर सकता है कार्रवाई

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आने वाले समय में उन शिक्षकों

करोड़ रुपए दिए थे। इसके पहले तक उद्योग या तो खुद पौधा रोपण करते थे या वन विकास निगम के माध्यम से लगवाया जाता था। इस बार मुख्यमंत्री खुद इस मामले में शामिल हुए। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का फैसला किया गया। उसके बाद हरिहर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया।

बॉर्डर संभल नहीं...

भी यह मुद्दा गरमा सकता है। लॉ कमीशन के 16 सवालों का बहिष्कार करते हुए बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा, 'कानून बदलना समस्या का हल नहीं है। कड़ी सजा का प्रावधान होने के बाद भी हत्याएं बंद नहीं हुईं। इसी

दर्शन का वीआईपी पास पाने के लिए पहले सिफारिशी खत की जरूरत पड़ती थी। अब, हमने वह व्यवस्था खत्म कर दी है और सभी के लिए वीआईपी पास लागू कर दिया है। अब कोई भी निर्धारित शुल्क अदा कर दर्शन के लिए यह पास ले सकेगा। सांई मंदिर की गिनती देश के तीन सबसे अमीर मंदिरों में होती है। शिर्डी में हर रोज 50 लाख रुपए का चढ़ावा आता है। रोजाना औसतन 60 हजार भक्त आते हैं। वीकेंड्स में यह भीड़ दोगुना और त्योहारों पर पांच गुना हो जाती है।

भीड़ कम करने के लिए लिया निर्णय : वीआईपी आरती की व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो और भगदड़ के खतरे को रोका जा सके। 2010 में ट्रस्ट ने

C.G. Police Housing Corporation, Raipur
CGPHC H.Q. Old PHQ, SIB Building, Raipur (C.G.)
Phone No. 0771-4020028

Tender No.183/CGPHC/Bldg/2016 Dated: 13.10.2016

TENDER NOTICE (1st CALL)

Online Tenders are invited according to Key dates for Construction of 216 NGO (P+6, 9 Block) & 864 HC/Constable (P+6, 18 Block) Qtrs. With Development Work at Distt. Raipur Tender System No. 10770 which are available from 14.10.2016 (17:00pm) to 10.11.2016 (17:00pm) in CGPHC Portal https://eproc.cgstate.gov.in along with other details.

Managing Director

क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6 अघनपुर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नं. 07782-229367, ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

सर्व संबंधितों को सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एवं संशोधित, अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम-बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक-10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक परामर्श (लोक सुनवाई) बावत् आवेदन किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए. एवं सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी (साफ्ट कापी सहित) कार्यालय कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, दंतेवाड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कार्यालय, बड़े बचेली, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, धरमपुरा रोड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में अवलोकन एवं पठन हेतु रखी गयी है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम-बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक-10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव/विचार एवं आपत्ति इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवंबर 2016) दिन मंगलवार, 11:30 बजे, पूर्वाह्न, स्थान: वन काष्ठागार, वन मंडल दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आयोजित है, जिसमें भी सुझाव/विचार एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सुविधाओं के साथ-साथ एक अच्छी डील खरीददारों को मार्केट में ला रही है। मार्केट में और इम्पूवमेंट आएगा।

उसर मार्केट में देखने को मिल रहा है। सातवें वेतनमान लागू होने के बाद इसकी सुगबुगाहट भी मार्केट में देखी जा रही है।

से साक्षी को पहली डैटसन रेडी स्पोर्ट की चाबी दी गई। अपनी

सेंसेक्स 439 और नि

भास्करडॉट कॉम| नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले निगे संकेतों के बाद घरेलू स्टॉक मा गुरुवार को तेज गिरावट के साथ हुए। आज के कारोबार में सेंसे 439 अंक गिर कर 27,643 लेवेल पर बंद हुआ जबकि नि 135 अंक गिर कर 8,573 लेवेल पर। बीएसई में इस गिरा की वजह से इन्वेस्टर्स के 1.6 ल करोड़ रुपए डूब गए हैं। सबसे ज्य गिरावट पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखने को मिली है।

क्यों गिरे स्टॉक मार्केट

- सितंबर में हुई फेडरल रिजर्व बैठक के मिनट्स जारी होने के ऐसे संकेत हैं कि दिसंबर में फेड रिजर्व दरों में बढ़ोतरी कर सकता
- बैठक 20 और 21 सितंबर को

विज्ञापन

राजधानी में शीघ्र लॉन्च हो रही है गोल्फ टाउनशिप

रायपुर। मध्य भारत की पहली गोल्फ टाउनशिप शीघ्र ही शहर में लॉन्च की जा रही है। पुरानी धमतरी रोड पर सेजबहार के पास इसे लॉन्च किया जा रहा है। टाउनशिप की लॉन्चिंग के साथ ही शहर के विकास और सुविधाओं के मामले में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। इसमें महानगरों की तर्ज पर आधुनिक जीवनशैली का नया आयाम देने वाली सुविधाएं मौजूद होंगी।

पिछले कुछ सालों में पुरानी धमतरी रोड, सेजबहार के आस-पास तेजी से विकास हुआ है। निजी डेवलपर्स के अलावा इस क्षेत्र में सरकार की भी कई बड़ी आवासीय योजनाएं हैं। साथ ही कई नए और बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इस एरिया में जहां बसाहट बढ़ रही है, वहीं इधर की कनेक्टिविटी भी सुविधाजनक है। जरूरत की चीजें आसानी से लोगों की पहुंच में हैं। नया रायपुर, एयरपोर्ट, कमल विहार या फिर रिंग रोड कुछ मिनटों की ड्राइव पर है। इस क्षेत्र की एक और बड़ी खासियत है कि यह पूरा एरिया एजुकेशनल हब बनते जा रहा है। यहां पर कई बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। वहीं यह पूरा एरिया प्रादूषण मुक्त है और चारों तरफ ग्रीनरी है। लोगों का कहना है कि गोल्फ टाउनशिप के आने से लोगों लीविंग स्टाइल में कुछ नया चाहने वालों को एक नया विकल्प मिलेगा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.)

रुचि की अभिव्यक्ति

क्र./न.पा.नि./2016-17/60/234 भिलाई, दिनांक 13-10-16

संजय नगर तालाब का उन्नयन/सौदर्यीकरण कार्य हेतु इच्छुक अनुभवी ठेकेदार फर्म जो EOI में उल्लेखित शर्तों की अर्हता रखते हो से ऑन लाईन प्रस्ताव दिनांक 07.11.2016 समय सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित है। प्रस्ताव वित्तीय सीमा 1.25 करोड़ के लगभग प्रस्तुत कर सकते है, जो दिनांक 15.11.2016 को समिति के समक्ष खोले जायेंगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्तें नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com में देखी जा सकती है।

घर से निकलने वाले गीले एवं सुखा कचरे को अलग कर सफाई मित्र (रिक्शा) को देवें।

कार्यपालन अभियंता
उद्यान

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6, अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नं. 07782-229367, ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

सर्व संबंधितों को सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एवं संशोधित, अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के तहत् सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड,(बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक परामर्श (लोक सुनवाई) बाबत् आवेदन किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए. एवं सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी (साफ्ट कापी सहित) कार्यालय कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, दंतेवाड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कार्यालय, बड़े बचेली, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, अपर प्रधान मुख्य बनसंरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, धरमपुरा रोड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में अवलोकन एवं पठन हेतु रखी गयी है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान),ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव/विचार एवं आपत्ति इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवंबर 2016) दिन मंगलवार, 11:30 बजे, पूर्वाह्न, स्थान: वन काष्ठागार, वन मंडल दंतेवाड़ा जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आयोजित है, जिसमें भी सुझाव/विचार एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग)

FOR ALL INSTITUTIONAL/BULK REQUIREMENTS PLEASE MA
पंडरी फोन: 0771 6007007, 6009009, 699844, 9755549770. दुर्ग- ... 9754137278. धमतरी- स्कूटर हाउस टीवीएस फोन: 07722-233121, 236121, 9827196521. ... हरीओम मोटर्स फोन: 07727223520, 9826900016. ... 9300414173. ... 9424286880. ... 9893112559. ... 9893727063. ... 9691152404. ... 9827156209. ... 9424215232, 9981724699. ... 975262655 ... 9893112559. ... 9669555962. ... 8305721 ... 12212. ... 8109788711. ... 999327337 ... 8878145670.

Dainik Bhaskar, Raipur 14/10/16

में शामिल हुआ बेटा

उसे वापस जेल लाया गया।

शिव के भाई नंदकुमार वैष्णव ने बताया कि रविवार को तेरहवीं कार्यक्रम है। विकास को इस कार्यक्रम में शामिल होना है, लिहाजा एक दिन के पैरोल पर छोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया जाएगा। पीड़ित परिवार की ओर से इस हैं। शिव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। आयोग की जांच टीम शनिवार को रायपुर आकर पीड़ित परिवार का बयान दर्ज करने के साथ ही शिव के बेटे विकास से भी विस्तृत पूछताछ करेगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर

खण्डवा रोड, सिमरोल, इंदौर – 453552
फोन : 0731-2438958/949/ ई-मेल : mms@iiti.ac.in

आरएफक्यू संख्या : आईआईटीआई(एमएम)/सीओएनवी/2/2के/246/एकेपी/2016–17 अक्तूबर 10,2016

कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू)

आईआईटी इंदौर द्वारा आईआईटीआई सिमरोल परिसर में दीक्षांत कार्यक्रम 2016 का आयोजन करने के लिए संरचना एवं सेवा की आपूर्ति करने के साथ कार्यक्रम प्रबंधन सेवाओं के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता, निविदा विवरण को वेबसाइट लिंक http://www.iiti.ac.in/tender_mms.php में देख सकते हैं।

कुलसचिव

DIRECTOR, DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (CHHATTISGARH)

Website : www.prsu.ac.in, e-mail : drvipinchandrasharma@gmail.com
Nuber : 0771-2575991 (O), 2412803 (R) Mobile : 0982663916
Office : Kota Stadium, Kota, Raipur (C.G.) 492010

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग

// ब्लेजर एवं ट्रेकसूट क्रय करने बाबत् निविदा सूचना //

क्रमांक/1033/शा.शि.वि./नि.सू./2016 रायपुर, दिनांक 06/10/2016

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा ब्लेजर केस्ट सहित एवं ट्रेकसूट क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म निविदा प्रपत्र कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम से रु. 1000/- एक हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद कैश काउन्टर में जमा कर विश्वविद्यालय के संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, कोटा स्टेडियम भवन, कोटा रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किया जायेगा।

निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	25/10/2016 अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	26/10/2016 अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	27/10/2016 अपराह्न 3.00 बजे तक

सं.-77876 कुलसचिव

ATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OF THE EXECUTIVE ENGINEER
NGO CANAL DIVISION NO. 5, KHARSIA, DISTT. RAIGARH (C.G.)

OCUREMENT TENDER NOTICE

ement tal : https://eproc.cgstate.gov.in

(First Call)

Dated : 10-10-2016

wing wo to 02/11/2016 at 17:30 Hours.

	Probable amount of contract
ND RAISING OF SERVICE AND NON SERVICE BANK PROFILE OF CHHOTE DUMARPALI SUB-DISTRYBUTORY TO R.D. 8742 M AND MOORUM TOPING ON SERVICE BANK BANK OF BANSMURA MINOR R.D. 0 M TO R.D. 810 M AND INOR R.D. 0 M TO R.D. 2140 M.	Rs. 10813049.00
ING AND REPAIR OF DAMGED C.C. LINING AND MOORUM R.D. 0 M TO R.D. 6000 M OF GARGORHI SUB DY. UNDER HARSIA BRANCH CANAL.	Rs. 8530690.00

downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated .cgstate.gov.in) from Date 19-10-2016 at 17.31 Hours. (IST) onwards.

tractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e-Procurement and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized der to download the tender document and participate in the subsequent bidding

EXECUTIVE ENGINEER
Minimata Bango Canal Division No. 5,
Kharsia, Distt. Raigarh (C.G.)

Chhattisgarh Rural Roads Development Agency
VIKASH BHAVAN, CIVIL LINES, RAIPUR (C.G.)

E-Procurement Tender Notice

NIT No. 127/CE/TECH/CGRRDA/2016 Dated : 07.10.2016

The Chief Engineer (Tender Cell), CGRRDA on behalf of Governor of Chhattisgarh invites the percentage rate bids in electronic tendering system for construction of New roads Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in the districts of Rajnandgaon, Bastar, Kanker, Narayanpur, Sukma, for 13 number of Packages with estimated cost totaling to Rs. 2391.85 Lacs including their maintenance for five years from the eligible contractors registered with unified registration system (e-registration). Date of release of Invitation for Bids through e-procurement : 13.10.2016

Availability of Bid Documents and mode of submission : The bid document is available online and should be submitted online in https://eproc.cgstate.gov.in. The bidder would be required to register in the web - site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities. The bidders are required to submit (a) original bid security in approved form and (b) original affidavit regarding correctness of information furnished with bid document as per provisions of Clause 4.4 B (a) (ii) of ITB with Chief Engineer, Tender Cell, CGRRDA, Vikash Bhawan, Civil Lines, Raipur C.G. on a date not later than three working days after the opening of technical qualification part of the Bid, either by Speed / Registered post, failing which the bids shall be declared non-responsive.

Last Date / Time for receipt of bids through e-procurement as per time schedule. For further details please log on to https://eproc.cgstate.gov.in.

(V.K. Jain)
Chief Engineer (Tender Cell)
Chhattisgarh Rural Road Development Agency
Civil Lines, Raipur (C.G.)
E-mail : cg-itno@nic.in

S-77888

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

एच.आई.जी. 5 एवं 6, अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नं. 07782-229367 ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

सर्व संबंधितों को सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एवं संशोधित, अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के तहत सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड,(बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक परामर्श (लोक सुनवाई) बाबत आवेदन किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए. एवं सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी (साफ्ट कापी सहित) कार्यालय कलेक्टर, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, दंतेवाड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कार्यालय, बड़े बचेली, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, धरमपुरा रोड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में अवलोकन एवं पठन हेतु रखी गयी है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान),ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव/विचार एवं आपत्ति इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवंबर 2016) दिन मंगलवार, 11:30 बजे, पूर्वाह्न, स्थान: वन काष्ठागार, वन मंडल दंतेवाड़ा जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आयोजित है, जिसमें भी सुझाव/विचार एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग)

Nai Duniya, Bilaspur
14/10/2016

शर्मा जनपद सदस्य आरंग, चन्द्रशेखर साहू, कृष्णकुमार भारद्वाज, गणेश राम साहू, राजा तंबोली उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सालिकराम साहू अध्यक्ष भाजपा मंडल आरंग करेंगे।

आरंग। विवेकानंद महाविद्यालय नारा (भानसोज) के रासेयो इकाई द्वारा ग्राम उमरिया (जरौद) में 12 अक्टूबर से सात दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर की शुरूआत मशाल रैली के साथ की गई। मशाल रैली में ग्राम पंचायत उमरिया की सरपंच लच्छनी हिरवानी, तपेश्वर यादव, हेमलाल साहू, महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. एस खान सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए।

...जानकारी देने वाले को उचित ईनाम दिया जायेगा।

सुखराम नाग
एफसीआई कालोनी
गौरी नगर, राजनांदगांव
मो. 94242-80895
89826-01321

देवरी में डांस प्रतियोगिता 15 को

आरंग। निप्र

ग्राम देवरी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर 15 अक्टूबर को रात्रि 7 बजे श्रीनवयुवक जन जागरण समिति द्वारा डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बृजमोहन अग्रवाल कृषि मंत्री, विशिष्ट अतिथि नवीन मारण्कडेय विधायक आरंग, कुसुमलता होंगी। अध्यक्षता हिम्मत चंद्राकर अध्यक्ष जिला सरपंच संघ रायपुर करेंगे। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर
खंडवा रोड, सिमरोल, इंदौर - 453552
फोन : 0731-2438958/949, ई-मेल : mms@iiti.ac.in

आरएफक्यू संख्या : आईआईटीआई(एमएम)/सीओएनवी/2/2के/246/एकेपी/2016-17 अक्तूबर 10,2016

कोटेशन के लिए अनुरोध (आरएफक्यू)

आईआईटी इंदौर द्वारा आईआईटीआई सिमरोल परिसर में दीक्षांत कार्यक्रम 2016 का आयोजन करने के लिए संरचना एवं सेवा की आपूर्ति करने के साथ कार्यक्रम प्रबंधन सेवाओं के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता, निविदा विवरण को वेबसाइट लिंक http://www.iiti.ac.in/tender_mms.php में देख सकते हैं।

कुलसचिव

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
भिलाई इस्पात संयंत्र
भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया, 490001

1) विज्ञापन क्र. सीएसपी 170/16-17 दिनांक 03.10.2016

ग्लोबल निविदा सूचना : भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल स्ट्रक्चरल मिल में अल्ट्रा सोनीक टेस्टिंग मशीन की स्थापना के लिए – ग्लोबल निविदा सूचना
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 15/11/2016 सुबह 11.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि : दिनांक 15/11/2016 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण तथा अन्य जानकारियों के लिए हमारे वेबसाइट www.sailtenders.co.in से डाउनलोड करें। – उपमहाप्रबंधक प्रभारी (परियोजना संविदा प्रक. – टर्नकी)

2) विज्ञापन क्र. सीएसपी - 171/16-17, दिनांक 13.10.2016

Global Tender : Tender Notice No. Twin angle Large Bell with Hopper/16G06203068/dtd. 07.10.2016.
Bhilai Steel Plant intends to procure Twin angle Large Bell with Hopper.
Last date of submission : Before 1.00 P.M. on 10.11.2016
Date of opening of bids : On 11.11.2016, 10.30 A.M. onwards.
Please log on to our website www.sailtenders.co.in for detailed specifications, tender terms and conditions. -महा प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)

पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003
Corporate Identity Number: L27109DL1973GO1005454, Website: www.sail.co.in

हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी जिला-धमतरी (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र./इन्स्पा.अवार्ड/जि.स्त.प्र./2016/7942 धमतरी, दिनांक 13.10.2016

इन्स्पायर अवार्ड अन्तर्गत दो दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी आ... है। इस हेतु प्रतिभागी भोजन के लिए निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन व्यवस्था हेतु पंजीकृत फर्मो से दिनांक 18.10.2016 दोपहर 3.00 बजे तक निविदा पत्र आमंत्रित की जाती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी में कार्यालयीन समय में निर्धारित राशि 250 रूपये (दो सौ पच्चास रू.) जमा कर निविदा प्रपत्र की प्रति एवं शर्तें संबंधी जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला धमतरी

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित
(छ.रा.वि.म. की उत्तरदायी कम्पनी)

विद्युत प्रवाह बंद की आवश्यक सूचना

वैशाली नगर जोन के समस्त सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि निम्न फीडरों में प्री दिवाली मेंटेनेंस का कार्य होने के कारण निम्नलिखित तिथियों को विद्युत प्रवाह प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक निम्नानुसार बंद रहेगी।

दिनांक	फीडर का नाम	प्रभावित क्षेत्र
14.10.16 शुक्रवार	11 के.व्ही. वैशालीनगर फीडर	हाउसिंग बोर्ड कैलाश नगर के आसपास का क्षेत्र।
14.10.16 शुक्रवार	11 के.व्ही. कैलाशनगर फीडर	दलिप परिसर, लोहिया रोड, चर्च रोड, टावर लाईन, कैलाश नगर, एकता चौक, कालीबाड़ी, एकता चौक, गायत्री, आटाचक्की के आसपास, हाउसिंग बोर्ड, कैलाश नगर, नालंदा स्कूल के आसपास, रतन शर्मा ट्रांसफार्मर के आस पास का क्षेत्र।
15.10.16 शनिवार	11 के.व्ही. ढांचाभवन फीडर	शासकीय स्कूल के आसपास के क्षेत्र, पशुचिकित्सालय कुरूद के आसपास का क्षेत्र, ढाचा भवन, हाउसिंग बोर्ड ढावा भवन, नालंदा स्कूल के आसपास का क्षेत्र, सुंदर विहार कालोनी, अटल आवास कुरूद, आधुनिक आई.टी.आई. के आसपास का क्षेत्र, ए.सी.सी. कालोनी, साईधाम के आसपास का क्षेत्र एवं कुरूद के अन्य क्षेत्र
17.10.16 सोमवार	11 के.व्ही. गोकुलधाम फीडर	कुरूद बस्ती, मनसा आई.टी.आई. के आसपास का क्षेत्र, चन्द्र नगर, साकेत नगर, मंगल बाजार के आसपास का क्षेत्र, कृपालनगर, शिवाजी नगर, अवंतिबाई चौक के आसपास का क्षेत्र, सद्भावना चौक के आसपास का क्षेत्र, गोकुल नगर।

आवश्यकतानुसार समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
असुविधा के लिए खेद है।

कार्यपालन यंत्री
(नगर संभाग)
छ.रा.वि.वि.कं.म., भिलाई

स्वहित एवम राष्ट्रहित में ऊर्जा की बचत कीजिए।

क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
एच.आई.जी. 5 एवं 6, अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, चित्रकोट रोड, जगदलपुर (छ.ग.)
दूरभाष नं. 07782-229367, ई-मेल hocecbrojagdalpur@gmail.com

सर्व संबंधितों को सूचना

भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 एवं संशोधित, अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के तहत् सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम-बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक-10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक परामर्श (लोक सुनवाई) बाबत् आवेदन किया गया है।

उक्त परियोजना से संबंधित ड्राफ्ट ई.आई.ए. एवं सार रिपोर्ट हिन्दी एवं अं... (साफ्ट कापी सहित) कार्यालय कलेक्टर, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, दंतेवाड़ा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कार्यालय, बड़े बचेली, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नया रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, एच.आई.जी.5 एवं 6 अघनपुर, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, धरमपुरा रोड जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) में कार्यालयीन समय में अवलोकन एवं पठन हेतु रखी गयी है। मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम-बचेली, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक-10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव/विचार एवं आपत्ति इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवंबर 2016) दिन मंगलवार, 11:30 बजे, पूर्वाह्न, स्थान: वन काष्ठागार, वन मंडल दंतेवाड़ा जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आयोजित है, जिसमें भी सुझाव/विचार एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
जगदलपुर (छ.ग.)

Nai Dunia, Raipur
14/10/2016

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 15.11.2016 का कार्यवाही विवरण।

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवम्बर 2016) दिन मंगलवार पूर्वान्ह 11.30 बजे, स्थान–वन काष्ठागार, वन मण्डल दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में कराई गई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधान के अनुसार सर्वसंबंधितों से मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्र.–10 की क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन–4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माइनिंग लीज क्षेत्र–309.340 हेक्टेयर) के संबंध में सुझाव अथवा विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने के लिए सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर समाचार/नई दुनिया समाचार पत्र के अंक में दिनांक 14.10.2016 को जनसाधारण की जानकारी के प्रयोजनार्थ प्रकाशित कराया गया।

निर्धारित समयावधि में क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जगदलपुर के समक्ष कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। लोक सुनवाई के दौरान 05 हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन प्राप्त हुआ।

............2

लोकसुनवाई प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित जन समुदाय को लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गई। तत्पश्चात लोकसुनवाई के प्रथम चरण में प्रबंधन के **श्री संजीव साही (संयुक्त महाप्रबंधक)** द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा क्या विकास किया जायेगा एवं परियोजना के तहत् मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग के क्षमता विस्तार से उत्पन्न होने वाले जल/वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रस्तावित उपायो की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को दी गई।

<u>जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये</u> :–

1. **श्री सुखराम कुंजाम, पाड़ापुर** – इस जनसुनवाई की सूचना नहीं दी गई है, इसलिए विरोध करता हूँ।

2. **श्री विक्की सोनी, नगर पालिका, बचेली** – बचेली में धूल के जो कण पड़ रहे हैं ट्रकों के कारण, एवं जल का स्तर कम हो रहा है। उसके लिए क्या सुझाव हैं?

3. **श्रीमती शांति बघेल, वार्ड क्रं. 6 बचेली** – बेटियों को पढ़ाने के लिए अवसर देते है तो पढ़ाई करने के बाद जाति के कारण, जाति निवास के लिए बहुत परेशानी हो रही है। आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अवसर नहीं मिलता है।

4. **श्री मंगल राम कुंजाम, पाड़ापुर** – संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार सबसे पहले प्रभावित ग्राम पंचायतों को लोकसुनवाई की सूचना दी जाती है। यह नहीं किया गया। लाल पानी से प्रभावित खेतों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। कमेली, भांसी, नेरली आदि के ग्रामों को कोई सूचना नहीं दी गई है। आर्टिकल 19 के अनुसार प्रभावित ग्राम में लोकसुनवाई किया जाए, ताकि वहां के महिलाएं, बुज़ुर्ग बच्चे सभी उसके बारे में जानें, एन.एम.डी.सी. द्वारा क्या विकास किया जायेगा? यहां पर जो आये हैं, कान्ट्रेक्ट के कर्मचारी हैं। मै विरोध करता हूँ।

............3

15/11/2016

5. **श्री सुरेश, नेरली** – न्यूज पेपर में पढ़ने के बाद सरपंच, सचिव से पूछने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायतों को कोई सूचना नहीं दी गई है। एन.एम.डी.सी. खदान से बहुत वृक्ष लुप्त हो रहे हैं। पानी का स्तर कम हो रहा है। क्या उपाय किया जा रहा है? प्रभावित गांव में ही लोकसुनवाई होनी चाहिए। इस लोकसुनवाई का हम विरोध करते हैं।

6. **श्री कमलू कुंजाम, सरपंच, धुरली** – ग्राम धुरली के पंचायत को कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए लोकसुनवाई का विरोध करते हैं।

7. **श्री पाण्डूराम, पाड़ापुर** – इसके बारे में मुझे मालुम नहीं कि कितना क्षमता बढ़ा रहे हैं? जिससे कितने ज्यादा प्रभावित होगें? यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है।

8. **श्रीमती दया, मुंडरापारा, बचेली** – हमारे पारा में लाईट पानी नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाए।

9. **श्रीमती सनमती, रेल्वे कालोनी, बचेली** – एन.एम.डी.सी. कालोनी की साफ सफाई होती है। हमारे कालोनी में नहीं होती है। लाईट भी नहीं है। व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

10. **श्रीमती गीता, किरन्दुल**– मुझे बचेली/किरन्दुल से सभी सुविधा मिलती है। और भी सुविधाएं मिले।

11. **श्रीमती रामबती, वार्ड क्रं. 1, बचेली** – हमारे यहां पानी और लाईट नहीं है। कृपया व्यवस्था करायें।

.............4

लोक सुनवाई के दौरान जन सामान्य द्वारा आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज कराया गया, जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित कुछ लोगों द्वारा "लोक सुनवाई बन्द करो " का नारा लगाया गया उन्हे पुनः अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। किन्तु कोई भी व्यक्ति पुनः उपस्थित नहीं हुआ। लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति लगभग 100 रही एवं उपस्थिति पत्रक में 73 लोगों ने हस्ताक्षर किया। उपस्थित जन समुदाय द्वारा क्षेत्र का विकास किये जाने, स्थानियों को रोजगार, साफ–सफाई, बिजली, पानी, सड़क, वृक्षारोपण आदि की शर्त के साथ परियोजना के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय लोकसुनवाई सम्पन्न किया गया।

15/11/16
(डॉ. सुरेश चंद्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जगदलपुर (छ.ग.)

15/11/2016
(दिलीप अग्रवाल)
अपर कलेक्टर
जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

मेसर्स एन० एम० डी० सी० लिमिटेड (बैलाडिला लौह अयस्क खदान) ग्राम – बचेली, जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ०ग०) में निक्षेप क्र० 5 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 5.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 304.350 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016
स्थान – वन काष्ठागार वन मण्डल, दन्तेवाड़ा जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ०ग०)

क्र०	लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य ग्रामीणों का नाम	जन सामान्य ग्रामीणों द्वारा उठाये गये मुद्दे	उद्योग प्रतिनिधि का कथन एवं हस्ताक्षर	जन सामान्य एवं ग्रामीणों हस्ताक्षर
	2	3	4	5
1	सुखराम कुंजाम पाड़ापुर	इस जन सुनवाई की सूचना नहीं दी गई है व (पेसा) विरोध करता हूँ	ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत जन सुनवाई कराये जाने की सूचना एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र यथा दैनिक भास्कर तथा नई दुनिया के 14 अक्टूबर 2016 के संस्करण में प्रकाशित की गई थी। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा कार्यकारी सारांश की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तैयार प्रतियां 6 (छः) स्थलों पर आम जनता के निरीक्षण/अवलोकनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय छ०ग० पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गयी। इसके अतिरिक्त जनपद/ग्राम पंचायतों की सूचना ग्राम पंचायतों के सूचना पटल तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा की गई है।	सुखराम
2	विक्की सोनी नगर पालिका	बचेली में धूल के कण उड़ रहे हैं इसी के कारण हम जल का स्तर कम हो रहा है इसके लिए क्या उपाय है	लौह अयस्क ढके हुए लंबे कन्वेयरों के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र से संयंत्र में पहुँचता है। भण्डा. संयंत्र से भण्डारित लौह पिंड एवं लौह चूर्ण रिक्लेमरों तथा लादनेवाले यंत्रों की सहायता से कुशलता से रेलवे वैगनों में भरकर ग्राहकों को भेजे जाते हैं। बचेली नगर की सभी सड़कें पक्की हैं एवं नगर से सटकर (?) भी पक्की हैं। माईन हॉल रोड पर वाटर टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव किया जाता है। खदान, आवासीय कॉलोनी के ध्वनि स्तर तथा वायु गुणवत्ता के नियमित परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आस-पास के भू-जल स्तर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है।	Vicky
3	श्रीमती शांति कवासी बचेली वार्ड क्र. 6	बेरोजगारों को रोजगार के लिए बाहर से लोगों को लाया जाता है यहाँ के लोगों को रोजगार आदि बिजली आदि के लिए बहुत परेशानी हो रही है औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी लेकिन सुविधाएँ नहीं मिलती हैं।	जिला प्रशासन / नई बचेली नगरपालिका से सम्बन्धित	Shanti
4	मंगलराम कुंजाम पाड़ापुर	संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार सबसे पहले ग्राम पंचायतों की जानकारी की सूचना दी जानी थी। 2. नहीं किया गया। भू-अर्जन के लोगों को खेतों का मुआवजा नहीं मिल रहा है।	जन सुनवाई की सूचना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है। पिछले वर्ष परियोजना से प्रभावित आस-पास के 10 ग्रामों के 177 किसानों को जिला प्रशासन के माध्यम से रु. 37,22,469/- का मुआवजा दिया गया। एन.एम.डी.सी. द्वारा सामाजिक दायित्व के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों में विकास कार्य किये गये हैं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना एवं आधारभूत निर्माण। उक्त कार्यों में एन.एम.डी.सी. द्वारा 38.81 करोड़ रुपये वित्तवर्ष 2015-16 में व्यय किये गये। लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित है।	[signature]

	2	3	4	5
		डेनेली, मांसी, नेरली, भांसी, डेरहापुर के गांवों को कोई सूचना नहीं दी गई थी जानकारी के अनुसार प्रभावित ग्राम में लोकसुनवाई किया जाय बाकी शहर के खिलाफ हमारी करोड़ रुपये उसके बारे में जाने NMDC द्वारा क्या किया किया जायेगा यहां पर भी नाया है यहीं के आधारों से भी विरोध करते हैं।	प्रावधानों के तहत किया गया है। जन सुनवाई में लचेली तथा आस-पास के गांवों के निवासी / नागरिक सम्मिलित हैं।	
5	सुरेश नेरली	पेपर में पढ़ने के बाद स्वयंपंच सरपंच से पूछने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं दी गई है। NMDC के द्वारा कुआ सूख हो रहे हैं पानी का स्तर कम हो रहा है क्या उपाय किया जा रहा है। प्रभावित गांव में ही लोकसुनवाई होनी चाहिए। इस लोक सुनवाई का हम विरोध करते हैं।	लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 तथा संशोधित प्रावधानों के तहत किया गया है। लोक सुनवाई की सूचना बिंदु क्रमांक-1 के अनुसार प्रचारित की गई। वर्तमान परियोजना अर्थात डिपाजिट-10 उत्पादन की क्षमता वृद्धि 4.2 MTPA से 6.0 MTPA के कारण किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना है। क्षेत्र में कुआं सूख होने जैसी स्थिति नहीं है। वर्तमान परियोजना के कारण जल के स्तर में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अध्ययन कराया जा चुका है। जल संरक्षण हेतु कराये गये कार्य यथा बेलिंग डेम, चेक डेम आदि द्वारा संग्रहित जल से भू-जल के जल स्तर को रि-चार्ज करने में मदद मिलेगी।	[signature]
6	डमरूराम सरपंच धुरली	ग्राम धुरली के पंचायत को कोई सूचना नहीं मिली है। इसलिए लोकसुनवाई का विरोध करते हैं।	लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 तथा संशोधित प्रावधानों के तहत किया गया है। लोक सुनवाई की सूचना बिंदु क्रमांक-1 के अनुसार प्रचारित की गयी।	[signature]
	पाण्डुराम पाड़ापुर	इसके बारे में मालूम नहीं है कि कौन सा ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। जिससे ग्राम प्रभावित होगा कोई सुनवाई नहीं होती है।	समाचार पत्रों, ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिका कार्यालयों में प्रचारित सूचना में स्पष्ट वर्णित था कि वर्तमान डिपाजिट-10 की उत्पादन क्षमता 4.2 MTPA से 6.0 MTPA बढ़ाई जा रही है। इससे जो लोग / ग्राम प्रभावित होंगे उसका अध्ययन विमटा लैब हैदराबाद द्वारा कराया जा चुका है एवं ड्राफ्ट ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण मंडल [illegible] कार्यालय, जिला दंतेवाड़ा, [illegible] कार्यालय तथा [illegible]	[signature]

1	2	3	4	5
8	श्रीमती रमा कुशवाहा बचेली	हमारे पारा में लोअर पानी टंकी से रस्य की व्यवस्था की जाय।	जिला प्रशासन / नगरपालिका परिषद बड़े बचेली से समन्वित एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के अन्तर्गत समस्त क्षेत्रों में विकास कार्य किये गये हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से किये गये हैं। यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना एवं आधारभूत निर्माण। उक्त कार्यों में एन.एम.डी.सी. द्वारा 56.67 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किये गये। नियमानुसार सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य आगे भी जारी रहेंगे।	
	श्रीमती [illegible] रेल्वे कालोनी बचेली	NMDC कालोनी के साफ सफाई होती है हमारे कालोनी में नाली साफ नहीं होती है लोअर में नहीं है। व्यवस्था कराने का कष्ट करें।	जिला प्रशासन / नगरपालिका परिषद बड़े बचेली से समन्वित एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिन्दु क्रमांक 8 के अनुसार किये जा रहे हैं तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेंगे। रेल्वे कालोनी एन.एम.डी.सी. कालोनी क्षेत्र से बाहर है, परन्तु फिर भी एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वहां सफाई हेतु नियमित अन्तराल पर सफाई कराई जाती है।	धनमती
7	गीता [illegible]	बचेली बचेली / बिरहुल में सभी सुविधा मिलती है। मैं और भी सुविधा चाहती हूं [illegible]	जिला प्रशासन / नगरपालिका परिषद बड़े बचेली से समन्वित एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिन्दु क्रमांक-8 के अनुसार किये जा रहे हैं तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेंगे।	[illegible]
	रामवती बचेली वार्ड 1	हमारे यहां पानी [illegible] नहीं है कृपया व्यवस्था करें।	जिला प्रशासन / नगरपालिका परिषद बड़े बचेली से समन्वित एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिंदु क्रमांक-8 के अनुसार किये जा रहे हैं तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेंगे।	

[signature] 17/11/16
SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
B.I.O.M. Bacheli Complex
Bacheli-494553, Distt.-Dantewada

(13)

(8)

15/11/2016

ए० डी० साहब०

~~प्रेमवन्ती साहू बचेली~~

समस्या - बच्चों के लिए बाहर पढ़ने के लिए एन०एम०डी०सी के बच्चों की तरह हमें भी सुविधा दी जाए।

गीता

प्रेम कुमारी

धनवती

सभी का यही मांग है।

क्रमांक 1110
दिनांक 16/11/16

15/11/16

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल,जगदलपुर ।

विषयः– लोक सुनवाईका विरोध करने हेतु ।
संदर्भः– एनएमडीसी की खदान 10 के क्षमता विस्तार ।

महोदय,

आपको विदित हो कि बस्तर सम्भाग मे संविधान की पांचवी अनुसूची लागु है । व पेसा कानुन भी प्रभावी है । विगत परियोजना मे 50 वर्षो व खदान10 का एनएमडीसी लौहे का खनन कर रहा हैं ।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है आज तक खदानो से बहे लोहे के चूर्ण खेतो को बंजर कर चुका है । मुआवजा दे देने से इसका सामाधान नही प्रत्येक वर्ष खेतो की मिटटी पानी की बहाव मे बह जा रही है । उसको रोकने के कोई उपाय नही है व इसकी स्थायी समाधान की योजना को ग्राम के सामने रखे उसके बाद लोक सुनवाई की जाए व आज 15 नवम्बर 16 को होने वाले लोकसुनवाई का हम धोर विरोध करते हैं । व इसे बैठक को निरस्त किया जाए । एनएमडीसी निक्षेप कंमाक 10 का 3.2 मिलियन टन से 4.2 मिलियन टन उत्पादन किया जा रहा है जब ऐसे खदानो से अंचल वासी का भूमि इतना अधिक प्रभावित हो रहा है व देवी देवताओ को भी प्रभावित कर रहा है । इस बैठक मे आप के द्वारा प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है तो और कितना पर्यावरण मे धुल के महीन कण व खेतो को प्रभावित करेगा ।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत लोक सुनवाई करने के पुर्व ग्राम मे किसी प्रकार की सुचना नही है । लिखित मे किसी प्रकार की जानकारी नही कराई गई जिस कारण आदिकाल से चला आ रहा है कोटवार के द्वारा मुनादी नही किया गया ।जबकि खदान के प्रभावित ग्राम के ग्राम सभा की जानी चाहिए जोकि संविधानिक उल्लंधन और हम इस लोक सुनवाई का विरोध करते है ।

दिंनाक 15 नवम्बर 2016

भवदीय

ग्राम के समस्त जनप्रतिनिधि, ग्राम वासी
ग्राम धुरली

सरपंच — उपसंरपच

कोटवार — पटेल बिज्जा — गायता — पुजारी — माझी

पंच का नामः 1 — 2 Yogesh — 3 सुरेश — 4 केवा — 5

(15) (5)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मड़ल,जगदलपुर ।

विषयः– लोक सुनवाईका विरोध करने हेतु ।
संदर्भः– एनएमडीसी की खदान 10 के क्षमता विस्तार ।

आवक क्र. 1112
दिनांक 16/11/16

महोदय,

आपको विदित हो कि बस्तर सम्भाग मे संविधान की पांचवी अनुसूची लागु है । व पेसा कानुन भी प्रभावी है । विगत परियोजना मे 50 वर्षो व खदान10 का एनएमडीसी लौहे का खनन कर रहा है ।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है आज तक खदानो से बहे लोहे के चूर्ण खेतो को बंजर कर चुका है । मुआवजा दे देने से इसका सामाधान नही प्रत्येक वर्ष खेतो की मिटटी पानी की बहाव मे बह जा रही है । उसको रोकने के कोई उपाय नही है व इसकी स्थायी समाधान की योजना को ग्राम के सामने रखे उसके बाद लोक सुनवाई की जाए व आज 15 नवम्बर 16 को होने वाले लोकसुनवाई का हम धोर विरोध करते है । व इसे बैठक को निरस्त किया जाए । एनएमडीसी निक्षेप कंमाक 10 का 3.2 मिलियन टन से 4.2 मिलियन टन उत्पादन किया जा रहा है जब ऐसे खदानो से अंचल वासी का भूमि इतना अधिक प्रभावित हो रहा है व देवी देवताओ को भी प्रभावित कर रहा है । इस बैठक मे आप के द्वारा प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है तो और कितना पर्यावरण मे धुल के महीन कण व खेतो को प्रभावित करेगा ।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत लोक सुनवाई करने के पुर्व ग्राम मे किसी प्रकार की सुचना नही है । लिखित मे किसी प्रकार की जानकारी नही कराई गई जिस कारण आदिकाल से चला आ रहा है कोटवार के द्वारा मुनादी नही किया गया ।जबकि खदान के प्रभावित ग्राम के ग्राम सभा की जानी चाहिए जोकि संविधानिक उल्लंघन और हम इस लोक सुनवाई का विरोध करते है ।

दिंनाक 15 नवम्बर 2016 भवदीय

सोमा
सरपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत बड़ेकमेली
जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा

उपसंरपच
मनीलेखमी

ग्राम के समस्त जनप्रतिनिधि, ग्राम वासी
ग्राम बड़ेकमेली

कोटवार – सुकमन
पटेल
गायता
पुजारी
माझी

पंच का नामः 1 रुकमणी 2 सोमा 3 गंगुराम 4 राजू 5 लक्ष्मी

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल,जगदलपुर ।

विषयः– लोक सुनवाईका विरोध करने हेतु ।
संदर्भः– एनएमडीसी की खदान 10 के क्षमता विस्तार ।

महोदय,

आपको विदित हो कि बस्तर सम्भाग मे संविधान की पांचवी अनुसूची लागु है । व पेसा कानुन भी प्रभावी है । विगत परियोजना मे 50 वर्षो व खदान10 का एनएमडीसी लौहे का खनन कर रहा है ।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है आज तक खदानो से बहे लोहे के चूर्ण खेतो को बंजर कर चुका है । मुआवजा दे देने से इसका सामाधान नही प्रत्येक वर्ष खेतो की मिटटी पानी की बहाव मे बह जा रही है । उसको रोकने के कोई उपाय नही है व इसकी स्थायी समाधान की योजना को ग्राम के सामने रखे उसके बाद लोक सुनवाई की जाए व आज 15 नवम्बर 16 को होने वाले लोकसुनवाई का हम धोर विरोध करते है । व इसे बैठक को निरस्त किया जाए । एनएमडीसी निक्षेप कंमाक 10 का 3.2 मिलियन टन से 4.2 मिलियन टन उत्पादन किया जा रहा है जब ऐसे खदानो से अंचल वासी का भूमि इतना अधिक प्रभावित हो रहा है व देवी देवताओ को भी प्रभावित कर रहा है । इस बैठक मे आप के द्वारा प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है तो और कितना पर्यावरण मे धुल के महीन कण व खेतो को प्रभावित करेगा ।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत लोक सुनवाई करने के पुर्व ग्राम मे किसी प्रकार की सुचना नही हैं । लिखित मे किसी प्रकार की जानकारी नही कराई गई जिस कारण आदिकाल से चला आ रहा है कोटवार के द्वारा मुनादी नही किया गया ।जबकि खदान के प्रभावित ग्राम के ग्राम सभा की जानी चाहिए जोकि संविधानिक उल्लंधन और हम इस लोक सुनवाई का विरोध करते है ।

दिंनाक 15 नवम्बर 2016 भवदीय

सुखराम भीमा ग्राम के समस्त जनप्रतिनिधि, ग्राम वासी

संरपच उपसंरपच ग्राम पाढापुर

कोसा भीमा

कोटवार पटेल गायता पुजारी माझी

पंच का नामः 1 2 बुधरू 3 पांडुराम 4 राटरूराम 5 कमल

15/11/16

(17) (2)

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मड़ल,जगदलपुर ।

विषय:– लोक सुनवाईका विरोध करने हेतु ।
संदर्भ:– एनएमडीसी की खदान 10 के क्षमता विस्तार ।

महोदय,

आपको विदित हो कि बस्तर सम्भाग मे संविधान की पांचवी अनुसूची लागु है । व पेसा कानुन भी प्रभावी है । विगत परियोजना मे 50 वर्षो व खदान10 का एनएमडीसी लौहे का खनन कर रहा है ।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है आज तक खदानो से बहे लोहे के चूर्ण खेतो को बंजर कर चुका है । मुआवजा दे देने से इसका सामाधान नही प्रत्येक वर्ष खेतो की मिटटी पानी की बहाव मे बह जा रही है । उसको रोकने के कोई उपाय नही है व इसकी स्थायी समाधान की योजना को ग्राम के सामने रखे उसके बाद लोक सुनवाई की जाए व आज 15 नवम्बर 16 को होने वाले लोकसुनवाई का हम धोर विरोध करते है । व इसे बैठक को निरस्त किया जाए । एनएमडीसी निक्षेप कंमाक 10 का 3.2 मिलियन टन से 4.2 मिलियन टन उत्पादन किया जा रहा है जब ऐसे खदानो से अंचल वासी का भूमि इतना अधिक प्रभावित हो रहा है व देवी देवताओ को भी प्रभावित कर रहा है । इस बैठक मे आप के द्वारा प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है तो और कितना पर्यावरण मे धुल के महीन कण व खेतो को प्रभावित करेगा ।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत लोक सुनवाई करने के पुर्व ग्राम मे किसी प्रकार की सुचना नही है । लिखित मे किसी प्रकार की जानकारी नही कराई गई जिस कारण आदिकाल से चला आ रहा है कोटवार के द्वारा मुनादी नही किया गया ।जबकि खदान के प्रभावित ग्राम के ग्राम सभा की जानी चाहिए जोकि संविधानिक उल्लंघन और हम इस लोक सुनवाई का विरोध करते है ।

दिंनाक 15 नवम्बर 2016

भवदीय

ग्राम के समस्त जनप्रतिनिधि ग्राम वासी

सरपंच (सामो) — उपसंरपच — ग्राम पंचायत नेरली

कोटवार — पटेल (बुधराम) — गायता (सुकमन) — पुजारी

माझी

पंच का नामः 1 ... 2 ... 3 ... 4 ...

15/11/16

एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
CIN - L13100AP1958GOI001674

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
ISO 18001: 2007

बैलाडीला आयरन ओर माईन,बचेली कॉम्प्लेक्स
बचेली – 494553
जिला – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)
Bailadila Iron Ore Mine,Bacheli Complex
Bacheli - 494553
Dist.- South Bastar Dantewada (C.G.)
Fax : 07857-230423,230310,230170,230225

18

प्र.सु.एवं पर्या./नि.10/लो.सु./42ए/2016 दिनांक 16/11/2016

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
जगदलपुर (छ.ग.)

विषय :– मेमेर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खान) नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ.ग.) में निक्षेप क्र. 10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/ वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/988/ क्षे.कार्या/तक./छ.प.सं.म./2016 जगदलपुर दिनांक 16/11/2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र लोक सुनवाई दिनांक 15/11/2016 के दौरान प्राप्त शिकायत/सुझाव मांग के संबंध मे जवाब हिन्दी एवं अंग्रेजी में संचालन कर तथा कार्यवाही विवरण का हिन्दी, अंग्रेजी में जबाव तैयार कर आपकी ओर कृपया अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

सधन्यवाद,

भवदीय

17/11/16

संयुक्त महाप्रबंधक (उत्पादन)

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
BIOM, Bacheli Complex
Bacheli-494553, Distt.-Dantewada

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (बैलाडीला लौह अयस्क खान) नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ.ग.) में निक्षेप क्र. 10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/ वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309. 340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वनकाष्ठागार, दंतेवाडा वन मंण्डल दंतेवाडा, जिला दंतेवाडा (छ.ग.) में दिनांक 15.11.2016 को लोक सुनवाई के समय प्राप्त लिखित शिकायत/सुझाव/मांग का जवाब।

क्र.	लोक सुनवाई के समय प्राप्त लिखित शिकायत/सुझाव/मांग करने वाले लोगों का नाम एंव पता	लोक सुनवाई के समय प्राप्त लिखित शिकायत/सुझाव/मांग का जवाब।
01	सरपंच, ग्राम पंचायत धुरली एवं प्रतिनिधि।	एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, की बैलाडिला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्पलेक्स की निक्षेप क्रमांक–10 खदान सुदूर आरक्षित वन खंण्डों में स्थित है। उपरोक्त खदान के आसपास लगभग 5 किलोमीटर से अधिक की परिधि में कोई गांव या रहवास नही है। उपरोक्त खदान में खनन के लिए किया जाने वाला ब्लास्ट सप्ताह में अधिकतम 3–4 बार ही किया जाता है। ब्लास्ट दिन में अपरान्ह 1 से 2 बजे के बीच एक दिन में एक ही बार होता है। किया जाने वाला ब्लास्ट अत्याधुनिक तकनिकी का उपयोग करते हुये पूर्णतया नियंत्रित दशा में होता है। ब्लास्टिंग के समय उत्पन्न होने वाले कम्पन की तीव्रता और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए खनन क्षेत्र में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाती हैं। नियंत्रित ब्लास्टिंग में नोनल कोर्ड और डिले एलिमेंट का प्रयोग किया जाता हैं, जिसके फलस्वरूप लौह अयस्क का फैलाव सिर्फ खनन क्षेत्र की सीमा के अन्दर ही होता हैं। ब्लास्टिंग के पश्चात प्राप्त लौह अयस्क को खोदक यत्रं (ैिवअमस) के माध्यम से डम्परों मे लादा जाता हैं। भरे हुये डम्पर लौह अयस्क को प्राथमिक दलित्र (च्तपउंतल बतनेीमत) में गिराते है। प्राथमिक दलित्र से पिसाई के बाद निकला हुआ लौह अयस्क ढ़ंके हुये बेल्ट कन्वेयरों (ठमसज बवदअमलमत) के माध्यम से छनन संयंत्र को पहुचता हैं। छनन संयंत्र में लौह अयस्क को उसके आकार के अनुसार अलग–अलग उत्पादो में छाना जाता हैं। छनन संयंत्र से निकले हुये उत्पाद क्रमशः लौह पिंड एवम् लौह चूर्ण अलग–अलग ढ़ंके हुये बेल्ट कन्वेयरों (ठमसज बवदअमलमत) के माध्यम से भरण संयंत्र में भण्डारित किये जाते हैं। भरण संयंत्र में भण्डारित लौह पिंड एवम् लौह

SANJEEV SAHI

20

		चूर्ण रिक्लेमरो तथा लादनेवाले यंत्रों की सहायता से रेलवे वैगनों में भर कर ग्राहकों को भेजे जाते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि खनन के पश्चात प्राप्त लौह अयस्क अधिकांशतः सीधे–सीधे जल के सर्म्पक मे नही आता हैं। अतः खनन क्रिया से जल प्रदूषण की सम्भावना नगण्य हैं। बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स के आसपास के गांवो में सदैव भू–जल के स्तर तथा गुणवत्वा का परीक्षण वर्ष में चार बार किया जाता हैं। इस कार्य के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली के अन्दर तथा आसपास के गांवो में कुल मिलाकर 44 पिजियोमेट्रीक (च्यम्रमवउमजतपब ॅमससद्ध कुओं का निर्माण किया गया है। परीक्षण रिर्पोटो से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त सभी पिजियोमेट्रीक (च्यम्रमवउमजतपब ॅमससद्ध कुओं के भू–जल स्तर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्ड़ल के निर्देशानुसार परियोजना के समीपवर्ती स्थित ग्रामों एवं पहाडियों के प्राकृतिक जल स्त्रोतों, भू–जल के नमूनो तथा आसपास के गांवो की मृदा आदि का विस्तृत अध्ययन ख्याति प्राप्त शासकीय संस्थान भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद के माध्यम से कराया गया। भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद ने बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स परियोजना के समीपवर्ती स्थित ग्रामों इत्यादि का वर्षाकाल, 2015 में दो बार भ्रमण किया। उपरोक्त भ्रमण के दौरान भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद ने बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स के समीपवर्ती स्थित ग्रामों एवं पहाडियों के प्राकृतिक जल स्रोतों, भूगर्भ जल तथा आसपास के गांवो की मृदा आदि के नमूनो को एकत्रित किया। उपरोक्त एकत्रित नमूनो का परिक्षण के उपरान्त विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली कॉम्प्लेक्स की गतिविधियों के कारण आस पास के जल स्रोतों तथा मृदा में किसी भी प्रकार के प्रदूषण का होना नहीं पाया गया है। उपरोक्त जनसुनवाई ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण

17/11/16
SANJEEV SAHI
(Prod.)

		प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पन्न हुयी। जनसुनवाई की सूचना प्रचलित प्रावधानों के तहत तीन प्रमुख समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, नई दुनिया तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के 14 अक्टूबर, 2016 के संस्करण में प्रकाशित की गई थी। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा अधिशासी सारांश की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तैयार प्रतियां निम्नलिखित स्थानों पर आम जनता के निरीक्षणार्थ/अवलोकनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी। 1. डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन जोर बाग रोड, नई दिल्ली 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (केन्द्रिय), क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, ग्राउड फ्लोर, ईस्ट विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन नागपुर (महाराष्ट्र) 3. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.) 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत दंतेवाड़ा, जिला– दंतेवाड़ा (छ.ग.) 5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दंतेवाड़ा, जिला– दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.) 6. मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद बचेली, जिला– दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.) इसके अतिरिक्त जनपरामर्श/लोकपरामर्श की सूचना ग्राम पंचायतों के सूचना पटल तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा की गई है।
02	सरपंच, ग्राम पंचायत नेरली एवं प्रतिनिधि।	उपरोक्त बिंदु क्रमांक–1 के अनुसार।

22

03	सरपंच, ग्राम पंचायत पाढ़ापुर एवं प्रतिनिधि।	उपरोक्त बिंदु क्रमांक–1 के अनुसार।
04	सरपंच, ग्राम पंचायत बड़े कमली एवं प्रतिनिधि।	उपरोक्त बिंदु क्रमांक–1 के अनुसार।
05	श्रीमती गीता, श्रीमती प्रेम कुमारी, श्रीमती धनवती, बड़े बचेली।	एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों मे विकास कार्य किये गये है, जिला प्रशासन के माध्यम से किये गये है। यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना एवं आधारभूत निर्माण। उक्त कार्यो में एन.एम.डी.सी. द्वारा 58.87 करोड़ रूपये विगत वर्ष 2015–16 मे व्यय किये गये। नियमानुसार सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य आगे भी जारी रहेगें।

17/8/16

संयुक्त महाप्रबंधक (उत्पादन)

EV SAHI

(Prod.)

Public consultation for the environmental clearance for proposed capacity expansion of Deposit-10, (Mining Lease Area 309.34 ha) from 4.2 MTPA to 6 MTPA by M/s. NMDC Limited, Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex in Municipal Council, Bade Bacheli held on 15/11/2016 at Forest Depot, Dantewada Forest Division. The reply for the letters observations/ suggestions received on public hearing date.

Sl. no	Name and address of the written complainant, received on the date of public hearing	The reply for the written complaint received on the date of public hearing
1.	Sarpanch, Village Panchayat, Dhurli and representatives	NMDC Limited, Bailadila Iron Ore Mine, Deposit-10 Mine is faraway and is situated in reserve forest area. There is no habitation / village located nearby or about 5 km radius of mining area. The blasting is conducted 3 to 4 times in the above mining area. The blasting is carried out once in a day between 1.00 to 2.00 PM. In order to prevent the ground vibrations and noise, controlled blasting techniques are being adopted by using Nonel card with time relays, therefore fly rocks can be restricted within the mining area. The blasted iron ore is excavated and transport to the primary crusher with the Shovel and Dumper combination. The crushed ore is transport to screening plant through covered conveyor belt. In the screening plant, the iron ore is separated by its size, further the screened ore transported to loading plant through covered conveyors. The fine ore and lump being stacked separately in the stock pile at loading plant. From the loading plant, the iron ore is transported to the customers through railways wagons with the combination of reclaimer and wagon loader. It is clear from the above process that the blasted iron ore from the mining operations is not in contact with the water, therefore the water pollution from the mining operations are negligible. Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex is also conducts seasonal ground water quality monitoring and water levels 04 times in a year. There are 44 no.s of piezometric wells have been installed in and around Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli complex. The monitoring report reveals that there is no impact on ground water quality and water levels.

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited

		As per directives of Chhattisgarh Environmental Conservation Board, the Indian School of Mines, Dhanbad has been entrusted the job for conducting the studies on water quality of various nallas / rivers and its impact due to mining operations in nearby villages. During the monsoon season 2015, the Indian school of mines has conducted detailed survey and collected water samples from various nallas/streams of different villages. The samples got tested and submitted the detailed report. The report reveals that there is no impact was found on soil, surface water quality, water levels and ground water quality due to mining operations. The public hearing is held as per EIA notification 2006 as amended. The public hearing notice was issued in three leading news papers of Hindustan Times, Dainik Bhaskar and Nayi Duniya on 14/10/2016. The draft Environmental Impact Assessment report and executive summary (English & Hindi) are made available in the following offices through Regional officer, office of Chhattisgarh Environmental Conservation Board, Jagdalpur 1. Director, Environment, Forests and climate change , Secretariat, Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bhag Road, New Delhi 2. Additional Chief Conservator of Forests(Central), Regional Office (Central Zone), Environment , Forests and climate change, Secretariat ground floor, east wing, New Secretariat Building, Civil Lines, Nagpur (MH) 3. Collector, collectorate, South Bastar , Dantewada (CG) 4. Chief Executive Officer, Zillla Panchayat Office, District south Bastar, Dantewada(CG). 5. General Manager, District Industries Centre, District South Bastar, Dantewada , Dantewada(CG) 6. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Bade Bacheli, District South Bastar, Dantewada(CG)

SANJEET SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
BIOM, Bacheli Complex

		In addition to above, the notices were also tagged on the notice boards of Village Panchayts and prominent places of the district for information to public.
2.	Sarpanch, Gram Panchayat, Nerli and representatives	As per details given in point no. 01
3.	Sarpanch, Village Panchayat, Padapur and representatives	As per details given in point no. 01
4.	Sarpanch, Village Bade Kameli, and representatives	As per details given in point no. 01
5.	Smt. Geeta, Smt. Prem Kumari, Smt. Dhanvati, Bade Bacheli	As per details given in point no. 01

17/11/16

Jt. General Manager (Production)

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
BIOM, Bacheli Complex
Bacheli-494553, Distt.-Dantewada

मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खदान), ग्राम–बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) में निक्षेप क्रमांक–10 की क्षमता विस्तार के तहत् आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में जन सामान्य की उपस्थिति पंजी।

स्थान–वनकाष्ठागार, वन मण्डल दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा लोक सुनवाई दिनांक 15.11.2016 (15 नवम्बर 2016) दिन मंगलवार पूर्वान्हः 11.30 बजे ।

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
1	MANKU RAM GOYAL बचेली	
2	K.C Subramoniam बचेली	
3	Vicky Soni बचेली	
4	Naba Kishore Oriwal बचेली	
5	mangdu नेरली	
6	budhRam नेर [illegible]	
7	कुमारन बचेली	कुमारन
8	Ramesh बचेली	Ramesh
9	Raju नेरली	

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
10	Lulu नेरली	
11	मुन्ना बेड़ मरेली	मुन्ना
12	[illegible] बघेली	Kamlu
13	सुखराम [illegible]	सुखराम
14	रघु	रघु
15	[illegible]	[illegible]
16	राजु [illegible]	राजु
17	Abhishek Roy	[illegible]
18	Dhananjay Kumar	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	अड़मा [illegible]	अड़मा

क्रं.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
23	K. KRISHNA [illegible]	[signature]
24	Vivek k. Rekha	[signature]
25	b. Swarup	[signature]
26	M.L. Meshram	[signature]
27	A.K Bansal	[signature]
28	V.D. Goyal	[signature]
29	M. CHOUKSE	[signature]
30	M. JAYAPAL REDDY	[signature]
31	S.S. Narayana Murthy	[signature]
32	D. ACHARYA	[signature] 15.11.16
33	MRIDUL DIXIT	[signature] 15/11/2016
34	Dr. A. SRINIVAS	[signature] 15/11/16
35	Nagendra Singh	[signature]
36	J A Ramachandran	[signature]

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
37	B.K. Chaudhary, Vinta Hyd	[illegible]
38	रामकीर्ती	रामकीर्ती
39	रुपा	
40	ईलमती	ईलमती
41	[illegible]	जलती
42	सोनमती बलौदी	
43	कमली बलौदा	कमली
44	Damyanti Sahu बलौदी	Damyanti Sahu
45	रेणी बलौदी	रेणी
46	[illegible] बलौदी	
47	मिना बलौदी [illegible]	

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
48	[illegible]	
49	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	
51	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	Shanti
55	[illegible]	
56	[illegible]	[illegible]
57	[illegible]	[illegible]
58	अनिता [illegible]	अनिता

क्र.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
59	प्रेम कुमारी कोली	प्रेम कुमारी
60	धन्नो कोली	धन्नो
61	मैंगली [illegible] कोली	मैंगली
62	रामवती कोली	रामवती
63	छुई कोली	छुई
64	बिमे कोली	
65	बत्ती कोली	बत्ती
66	हरीला बाड़ू	
67	सविता कोली	सविता
68	जयवती कोली	जयवती
69	सवाना कोली	सवाना

क.	नाम एवं पता	हस्ताक्षर
70	रेणुका बचेली	
71	सरस बचेली	सरस
72	पायो बचेली	पायो
73	बिमा बचेली	
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		

मेमेर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, (बैलाडीला लौह अयस्क खान) नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ.ग.) में निक्षेप क्र. 10 की क्षमता विस्तार के तहत आयरन ओर माईन 4.2 मिलियन टन/वर्ष से 6.0 मिलियन टन/ वर्ष (माईनिंग लीज क्षेत्र 309.340 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

दिनांक 15.11.2016

लोक सुनवाई का स्थान : वनकाष्ठागार, दंतेवाडा वन मण्डल दंतेवाडा, जिला दंतेवाडा (छ.ग.)

क्र.	लोक सुनवाई में उपस्थित लोगों का नाम एंव पता	जन सामान्य/ग्रामीणों द्वारा उठाये गए मुद्दे	उद्योग प्रतिनिधि का कथन एवं हस्ताक्षर
01	श्री सुखराम कुंजाम, पाड़ापुर	इस जनसुनवाई की सूचना नही दी गई है, इसलिए विरोध करता हूँ।	✓ ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत जन सुनवाई कराये जाने की सूचना एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स एवं स्थानीय समाचार पत्र यथा दैनिक भास्कर तथा नई दुनिया के 14 अक्टूबर, 2016 के संस्करण में प्रकाशित की गई थी। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा अधिशासी सारांश की हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तैयार प्रतियां 6 (छः) स्थलों पर आम जनता के निरीक्षणार्थ/अवलोकनार्थ क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी। इसके अतिरिक्त जनपरामर्श/लोकपरामर्श की सूचना ग्राम पंचायतों के सूचना पटल तथा जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा की गई है।
02	श्रीमती विक्की सोनी, नगर	बचेली में धूल के जो कण पड रहे हैं ट्रकों के कारण, एवं जल का स्तर कम हो रहा	✓ लौह अयस्क ढंके हुये बेल्ट कन्वेयरों (Belt conveyer) के माध्यम से प्राथमिक दलित्र से भरण संयंत्र में पहुचता हैं।

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)

	पालिका, बचेली	है। उसके लिए क्या सुझाव है।	✓ भरण संयंत्र में भण्डारित लौह पिंड एवम् लौह चूर्ण रिक्लेमरो तथा लादनेवाले यंत्रों की सहायता से मुख्यतः रेलवे वैगनों में भर कर ग्राहकों को भेजे जाते हैं। ✓ बचेली उप नगर की सभी सड़के पक्की है। उप नगर से खदान तक भी सड़क पक्की है। माईन हाल रोड़ पर लगातार टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव किया जाता है। ✓ खान तथा आसपास के गांवो में भू–जल के स्तर तथा गुणवत्या के नियमित परीक्षणार्थ निर्मित 44 पिजियोमेट्रीक कुओं की परीक्षण रिर्पोटो से स्पष्ट है कि आस– पास के भू–जल स्तर में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है।
03	श्रीमती शांति बघेल, वार्ड क्रं. 6 बचेली	बेटियों को पढ़ाने के लिए अवसर देते है तो पढ़ाई करने के बाद जाति के कारण, जाति निवास के लिए बहुत परेशानी हो रही है। आगे बढ़ना चाहते हैं । लेकिन अवसर नहीं मिलता है।	✓ जिला प्रशांसन/बड़े बचेली नगर पालिका परिषद से सम्बधित।
04	श्री मंगल राम कुंजाम, पाड़ापुर	संविधान के 5 वीं अनुसूची के अनुसार सबसे पहले प्रभावित ग्राम पंचायतों को लोकसुनवाई की सुचना दी जाती है। यह नही किया गया। लाल पानी से प्रभावित खेतों का मुआवजा नही मिल रहा है। कमेली, भॉसीं, नेरली आदि के ग्रामों को कोई सूचना नही दी गई है। आर्टिकल 19 के अनुसार प्रभावित ग्राम मे लोकसुनवाई किया जाए, ताकि वहां के महिलाएं, बुजुर्ग	✓ जन सुनवाई की सुचना ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है। ✓ पिछले वर्ष लाल पानी से प्रभावित आस – पास के 10 गॉवों के 177 किसानों को जिला प्रशासन के माध्यम से रू. 37,27,489/– का मुआवजा दिया गया। ✓ एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों मे विकास कार्य किये गये है, यथा शिक्षा, स्वास्थ, पेयजल उपलब्ध कराना एवं आधारभूत निर्माण। उक्त कार्यो में एन.एम.डी.सी. द्वारा 58.87 करोड़ रूपये विगत वर्ष 2015–16 मे व्यय किये गये।

		बच्चे सभी उसके बारे में जानें, एन.एम.डी.सी. द्वारा क्या विकास किया जायेगा? यहां पर जो आये है, कान्ट्रेक्ट के कर्मचारी हैं। मै विरोध करता हूँ।	✓ लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत किया गया है। ✓ जन सुनवाई में बचेली तथा आस – पास के गॉवों के निवासी /नागरिक संम्मिलित हैं।
05	श्री सुरेश, नेरली	न्युज पेपर में पढ़ने के बाद सरपंच, सचिव से पूछने के बाद पता चला कि ग्राम पंचायतों को काई सूचना नही दी गई है। एन.एम.डी.सी. खदान से बहुत वृक्ष लुप्त हो रहे है। पानी का स्तर कम हो रहा है। क्या उपाय किया जा रहा है? प्रभावित गांव में ही लोकसुनवाई होनी चाहिए। इस लोकसुनवाई का हम विरोध करते है।	✓ लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत किया गया है। लोक सुनवाई की सूचना बिंदु क्रमांक –1 के अनुसार प्रचारित की गयी। ✓ वर्तमान परियोजना यथा डिपोजिट 10 खान की क्षमता वृद्धि 4.2 MTPA से 6.0 MTPA के कारण किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना है। ✓ क्षेत्र में वृक्ष लुप्त होने जैसे स्थिति नहीं है। ✓ वर्तमान परियोजना के कारण जल के स्तर में भी कोई प्रभाव नही पड़ेगा इसका अध्ययन कराया जा चुका है। ✓ जल संरक्षण हेतु कराये गये कार्य यथा रेलिंग डेम, चेक डेम आदि द्वारा संग्रहित जल से भू–जल के जल स्तर को रि–चार्ज करने में मदद मिलेगी।
06	श्री कमलू कुंजाम, सरपंच, धुरली	ग्राम धुरली के पंचायत को कोई सुचना नहीं मिली है। इसलिए लोकसुनवाई का विरोध करते है।	✓ लोक सुनवाई का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थल पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित प्रावधानों के तहत किया गया है। लोक सुनवाई की सूचना बिंदु क्रमांक –1 के अनुसार प्रचारित की गयी।

SANJEEV SAHI

36

07	श्री पाण्डूराम, पाड़ापुर	इसके बारे में मुझे मालूम नहीं कि कितना क्षमता बढ़ा रहे है? जिससे कितने ज्यादा प्रभावित होगें? यहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है।	✓ समाचार पत्रों, ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिका कार्यालयों में प्रचारित सूचना में स्पष्ट वर्णन था कि वर्तमान निक्षेप–10 की उत्पादन क्षमता 4.2 MTPA से 6.0 MTPA बढ़ाई जा रही है। ✓ इससे जो लोग/ग्राम प्रभावित होंगे उसका अध्ययन विमटा लैब, हैदराबाद द्वारा कराया जा चुका है एवं ड्राफ्ट ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट मंत्रालय, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कलेक्टर दंतेवाड़ा कार्यालय, जिला दंतेवाड़ा उद्योग एवं व्यापार कार्यालय तथा बड़े बचेली नगर पालिका परिषद कार्यालयों में उपलब्ध है।
08	श्रीमती दया, मुंडरापारा, बचेली	हमारे पारा में लाईट पानी नही है। इसकी व्यवस्था की जाए।	✓ जिला प्रशासन/नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली से संबंधित। ✓ एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों मे विकास कार्य किये गये है, जिला प्रशासन के माध्यम से किये गये है। यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना एवं आधारभूत निर्माण। उक्त कार्यो में एन.एम.डी.सी. द्वारा 58.87 करोड़ रूपये विगत वर्ष 2015–16 मे व्यय किये गये। नियमानुसार सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य आगे भी जारी रहेगें।
09	श्रीमती सनमती, रेलवे कालोनी, बचेली	एन.एम.डी.सी. कालोनी की साफ सफाई होती है। हमारे कालोनी में नही होती है। लाईट भी नहीं है। व्यवस्था कराने का कष्ट करें।	✓ जिला प्रशासन/नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली से संबंधित। एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिंदु क्रमांक–8 के अनुसार किये जा रहे है तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेगें। ✓ रेलवे कालोनी एन.एम.डी.सी. कालोनी क्षेत्र से बाहर है, परन्तु फिर भी एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वहॉ सफाई हेतु नियमित अंतराल पर सफाई कराई जाती है।

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited

10	श्रीमती गीता, किरन्दुल	मुझे बचेली/किरन्दुल से सभी सुविधा मिलती है। और भी सुविधाएं मिले।	✓ जिला प्रशासन/नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली से संबंधित। ✓ एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिंदु क्रमांक–8 के अनुसार किये जा रहे है तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेगें।
11	श्रीमती रामबती, वार्ड क्रं. 1, बचेली	हमारे यहां पानी और लाईट नहीं है। कृपया व्यवस्था करायें।	✓ जिला प्रशासन/नगर पालिका परिषद, बड़े बचेली से संबंधित। ✓ एन.एम.डी.सी. बचेली द्वारा सामाजिक नैगम दायित्व के कार्य बिंदु क्रमांक–8 के अनुसार किये जा रहे है तथा नियमानुसार आगे भी जारी रहेगें।

17/11/16

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
BIOM, Bacheli Complex
Bacheli-494553, Distt.-Dantewada

Public consultation for the environmental clearance for proposed capacity expansion of Deposit-10, mining lease area 309.34 ha) from 4.2 MTPA to 6 MTPA by M/s. NMDC Limited, Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex in Municipal Council, Bade Bacheli

Date of Public consultation: 15/11/2016

Place of public consultation: Forest Depot, Dantewada Forest Division, Dantewada (CG)

Sl.no	Name and address of the public present in the public consultation	Issues Raised by General Public / Villagers	Statement and signature of the representative of the Industry
1	Shri. Sukhram Kunjam, Padapur	The information about public consultation is not given, therefore I will oppose	✓ As per Environmental Impact Assessment notification 2006 as amended, the public consultation notice issued in three leading news papers viz. Hindustan Times, Dainik Bhaskar and Nayi Duniya on 14/10/2016. Copies of Draft EIA and Executive summary reports are placed in 6 prominent Government offices/public places for public perusal. ✓ In addition to above, the notices were also tagged on the notice boards of Bade Bacheli, Municipal Council, and Village Panchayts for information of people / public.
2	Smt.Vikky Soni, Nagaralika, Bacheli	The dust is lying on the road and the water level is decreasing. So what are the suggestions	✓ The iron ore is transported from crushing pant to loading plant through covered conveyors. ✓ From the loading plant, the iron ore is transported to the end users by mostly railways. ✓ All internal roads are made pukka with water bound macadam. Water sprinklers are used

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)

			regularly for sprinkling the water on the mine haul roads to suppress the dust. ✓ Ground Water level is being monitored regularly from 44 nos of Peizometric wells installed in different villages. Study reports indicate that there is no impact Ground water quality and Ground water level.
3	Smt. Shanti Baghel, Ward no. 6 , Bacheli	The girls need to be studied. After completion of their studies, we are facing problems for getting the caste certificate and residence certificate. We want to go for higher level but not getting help.	✓ Pertains to District Administration/ Municipal Council, Bade Bacheli.
4.	Shri. Mangalram Kunjam, Padaur	As per article sl. no.5, prior information about public consultation will be given to nearest affected Panchayat. But the information was not given. The crop compensation due to redwater is not receiving. The information on public consultation was not given to Kameli,Bhansi,Nerli. According to the article 19,the public consultation should be conducted in village so the women, old age and children will know. What development will do through NMDC. The public came here are contract labour, I oppose .	✓ The public hearing is organized as per the EIA notification 2006 as amended. ✓ During the last year, NMDC released an amount of Rs.37,27,489/- to District Administration, Dantewada towards crop compensation for distribution to 177 farmers of 10 villages. ✓ Under Corporate Social Responsibility (CSR) NMDC executed various developmental activities in the field of education, health, infrastructural facilities and drinking water for which an amount of Rs. 58.87 crores to spent during the year 2015-16. ✓ Chhattisgarh Environment Conservation Board has organized the public hearing. The date and venue fixed by District Administration as per the EIA, notification, 2006 as amended till date. ✓ The public hearing is attended by local public of Bacheli and nearby villages.
5.	Shri. Suresh, Nerli	Came to know after read in the news paper, I asked the Sarpanch and	✓ Chhattisgarh Environment Conservation Board has organized the public hearing. The date and

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)

		Secretary about the public consultation, no information received. Number of trees being lost in the mining area. The ground water level is decreasing. What are the measures? The public consultation should be conducted in the affected villages. We oppose this public consultation.	venue fixed by District Administration as per the EIA, notification, 2006 as amended till date. The publicity of hearing was done as per the details given in point no.1. ✓ The proposed production enhancement of Deposit-10 from 4.2 to 6 mtpa does not involve any land acquisition. ✓ Extinction of trees does not arise. ✓ EIA study reveals that the production enhancement from the mine does not impact the ground water. ✓ The existing water pollution control structures of tailing dam, check dams are helping in recharging the ground water.
6.	Shri. Kamalu Kunjam, Sarpanch, Dhurli	Village Dhurli has not received any information about this public consultation, therefore Iam opposing.	✓ Chhattisgarh Environment Conservation Board has organized the public hearing. The date and venue fixed by District Administration as per the EIA, notification, 2006 as amended till date. The publicity of hearing was done as per the details given in point no.1.
7.	Shri. Panduram, Padaur	I don't know how much production capacity is increasing, due to which how many are getting affected and no body is hearing.	✓ The information regarding proposed capacity expansion from 4.2 mtpa to 6 mtpa has been clearly mentioned in the news papers. ✓ M/s. Vimta Labs Limited, Hyderabad has conducted impact assessment study on affected villages. ✓ The EIA report is available in the offices of CECB, MoEFCC, Collector- District Dantewada, Dantewada District Industry Centre and Municipal Council, Bade Bacheli.
8.	Smt. Daya, Mundarpara,	In our Mundra para , there is no light and water and they be made available.	✓ Pertains to District Administration / Municipal Council, Bade Bacheli

	Bacheli		✓ Under Corporate Social Responsibility (CSR) NMDC executed various developmental activities in the field of education, health, infrastructural facilities and drinking water for which an amount of Rs. 58.87 crores to spent during the year 2015-16. The CSR activities will continue in future.
9.	Smt.Sanmati, Railway colony,Bacheli	Cleaning is performed in NMDC Colony, no cleaning is being done in our colony and there is no light. The arrangements may be made.	✓ Pertains to District Administration / Municipal Council, Bade Bacheli ✓ As mentioned in point no. 8, NMDC continue the CSR works along with District Administration and the CSR activities will continue in future. ✓ The railway colony is located outside of Bacheli township, however NMDC conducts regular cleanness drive under Swatch Bharat Mission.
10.	Smt. Geeta, Kirandul	We are receiving all benefits from Bacheli / Kirandul and some more benefits may be provided.	✓ Pertains to District Administration / Municipal Council, Bade Bacheli ✓ As mentioned in point no. 8, NMDC continue the CSR works along with District Administration and the CSR activities will continue in future.
11.	Smt. Rambati, ward no.1, Bacheli	There is no water and light. Please provide.	✓ Pertains to District Administration / Municipal Council, Bade Bacheli ✓ As mentioned in point no. 8, NMDC continue the CSR works along with District Administration and the CSR activities will continue in future.

17/11/16

SANJEEV SAHI
Jt. General Manager (Prod.)
NMDC Limited
BIOM, Bacheli Complex
Bacheli-494553, Distt.-Dantewada